

**कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राज0)**

क्रमांक: 01

दिनांक:-04.01.2024

**आदेश**

मैं दुडाराम खोकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि कॉलम संख्या-3 में अंकित अवकाशों के दिन भरतपुर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई हेतु कॉलम संख्या 2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-


क्र.सं	नाम अधिकारी एवं पदनाम	दिनांक	मोबाइल नं0
1.	श्री अंकुर गुप्ता एसीजेएम-4, भरतपुर	07.01.2024 रविवार	9414253571
2.	श्री अंशुमान सिंह खंगारोत एसीजेएम-1, भरतपुर	13.01.2024 द्वितीय शनिवार 14.01.2024 रविवार	9461973839
3	सुश्री अंकिता बैनीवाल जेएम- कामां	21.01.2024 रविवार	9818472489
4	श्री कानाराम मीणा एसीजेएम पीसीपीएनडीटी केसेज, भरतपुर	26.01.2024 गणतंत्र दिवस	9460380348
5	श्रीमती अंकिता चंद्रावंत एसीजेएम किराया अधिकरण, भरतपुर	27.01.2024 चतुर्थ शनिवार 28.01.2024 रविवार	9460906366
6	श्रीमती अनीता मीणा जेएम भुसावर	04.02.2024 रविवार	8058014656
7	श्री पलाश मीना एसीजेएम-2, भरतपुर	10.02.2024 द्वितीय शनिवार 11.02.2024 रविवार	9928891749
8	श्रीमती सिन्ध्या सूद एसीजेएम-2, नगर	18.02.2024 रविवार	9818628793
9	श्रीमती सुमन मीना एसीजेएम-3, भरतपुर	24.02.2024 चतुर्थ शनिवार 25.02.2024 रविवार	8209778143
10	श्रीमती सीमा हुड्डा एसीजेएम डीग	03.03.2024 रविवार	9785483053
11	श्री निखिल कुमार नाइ न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय रूपवास	08.03.2024 महाशिव रात्रि	9654886653
12	श्री आदित्य वशिष्ठ जेएम-1, भरतपुर	09.03.2024 द्वितीय शनिवार 10.03.2024 रविवार	9414034555
13	सुश्री सुनीता जेएम, बयाना	17.03.2024 रविवार	9413373858
14	मोहम्मद आजम, एसीजेएम, कुम्हेर	23.03.2024 चतुर्थ शनिवार 24.03.2024 रविवार (होली) 25.03.2024 होली	9887492493
15	श्री सुभाषचंद कोटिया एसीजेएम नदवाई	29.3.2024 गुड फ्राईडे	8560957778
16	श्री नमोनारायण मीणा, एसीजेएम वैर	31.03.2024 रविवार	9887244544

**नोट-**

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से भरतपुर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के भरतपुर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के

दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/ 2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे। मुख्यालय से बाहर रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मुख्यालय पर उपस्थित सीजेएम या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रोटोकॉल ड्यूटी की जावेगी।

2. तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
3. किसी भी अवकाश के **अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात** के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड आदि सभी कार्यों की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में रिमाण्ड आदि सभी कार्यों हेतु अधिकृत होगा।
4. यदि किसी मुख्यालय पर सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हों तो वे उक्त रिमाण्ड आदि का कार्य अपने संबंधित थाने के संबंध में स्वयं घर से संपादित करेंगे।
5. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से **02.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम. तक** अपने न्यायालय में **आवश्यक स्टाफ** के साथ उपस्थित रहेंगे।


  
(दुड़ा राम खोकर)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भरतपुर

क्रमांक: 26-48

दिनांक:-04.01.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल)-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर
2. पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर/डीग को वारंते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. समस्त न्यायिक/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर न्याय क्षेत्र
4. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भरतपुर/नगर/बयाना/डीग/कुम्हेर/नदबई/  
भुसावर/वैर/कामां/उच्चैन/रूपवास/सीकरी
6. सिटी कन्ट्रोल, भरतपुर/अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर
7. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय भरतपुर (मैसेज हेतु)
8. प्रोटोकॉल कम प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय भरतपुर
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड
10. आदेश/संबंधित पत्रावली

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
भरतपुर